



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10970 वर्ष 2025

पवन कुमार पांडेय

.....

आवेदक(ओं)

बनाम

प्रधान सचिव गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य.....

विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : अयोध्या प्रसाद मिश्रा, ए०पी०
मिश्रा, रितुराज

मिश्रा, विवेक कुमार त्रिपाठी।

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 17**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री ए०पी० मिश्रा, राज्य की ओर से उपस्थित श्री अनुराग वर्मा द्वारा सहायता प्राप्त अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वी०के० शाही, और शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अनिल तिवारी को सुना गया।
2. आवेदक ने यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 319/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दण्ड संहिता, थाना- अकबरपुर, जिला- अंबेडकर नगर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक एक राजनीतिक व्यक्ति है और सरकार परिवर्तन के बाद केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के कारण उसे कई वादों में फंसाया गया है। आवेदक को राम जन्मभूमि मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया था, विशेष रूप से प्राथमिकी संख्या आरसी8(एस)/92-एसआईयू-वी/एसआईसी-आईआई, आरसी संख्या 1 (एस)/93-एसआईसी-आईवी और आरसी संख्या 2 (एस)/93 के साथ-साथ धारा 48(एस)/93, धारा 147, 149, 120-बी, 114 के तहत धारा 153-ए, 153-बी, 505, 295, 295-ए, 395, 332/338, 201 और 505(1)(बी) भारतीय दण्ड संहिता, थाना-एसआईयू-वी/एसआईसी-आईआई, नई दिल्ली में। उपरोक्त वादों की जांच सीबीआई द्वारा की गई थी। आरोप पत्र दाखिल किया गया और आवेदक का वाद सत्र न्यायालय में एस०टी० संख्या 344/1994 (राज्य बनाम पवन कुमार पांडे और अन्य) के रूप में पंजीकृत किया गया। इसके बाद, दोष उन्मोचन आवेदन दायर किया गया, जिसे अयोध्या प्रकरण, लखनऊ के माननीय विशेष न्यायाधीश ने 13.09.2002 को स्वीकार कर लिया। उक्त दोष उन्मोचन आदेश को इस न्यायालय के समक्ष धारा 372 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आपराधिक अपील संख्या 79/2022 में वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी, जो हाजी महबूब अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दर्ज है, और उक्त अपील को इस न्यायालय की खंडपीठ ने 09.11.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

3.1. आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध 96 अन्य मामले भी दर्ज किए गए थे, जिनमें से 92 वादों में उसे या तो बरी कर दिया गया है या जांच अधिकारी द्वारा मामले बंद करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और वादों की सूची याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 14 के रूप में संलग्न है। वर्तमान मामले में, अभियोजन पक्ष का वाद यह है कि शिकायतकर्ता के पुत्र के फर्जी विवाह के आधार पर, जिसकी बाद में एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई, उसकी तथाकथित पत्नी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

नीतू सिंह द्वारा नामांतरण की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसे आवेदक ने विवाह प्रमाण पत्र तैयार करने और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष नामांतरण आवेदन दाखिल करने के लिए सुविधा प्रदान की थी।

3.2. आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक सहित 12 व्यक्तियों को प्राथमिकी में नामजद किया गया था, लेकिन 13 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आवेदक के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 419, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 419, 467, 468 और 471 के तहत अपराध के लिए आवेदक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और किसी भी कथित अपराध को साबित करने के लिए सबूतों की कोई कड़ी नहीं है, इसलिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी के तहत भी कोई अपराध नहीं बनता है।

3.3. यह भी प्रस्तुत गया है कि 13 व्यक्तियों में से 12 व्यक्तियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, जिसमें वह महिला भी शामिल है, जिसके खिलाफ फर्जी शादी का आरोप है। इससे पहले, इस न्यायालय के समक्ष यह धारणा दी गई थी कि शिकायतकर्ता के बेटे की हत्या आवेदक के साथ मिलकर जमीन हड़पने के इरादे से की गई थी और घटना को दुर्घटना के रूप में दिखाया गया था। इसके बाद, जांच एस०टी०एफ को सौंपी गई और जांच में पाया गया कि शिकायतकर्ता के बेटे की मौत एक दुर्घटना के कारण हुई थी। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के समक्ष 36 लाख रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए एक दावा याचिका भी दायर की।

3.4. यह प्रस्तुत किया गया है कि इससे पहले, आवेदक की जमानत याचिका 19.09.2024 को खारिज कर दी गई थी और विचारणीय न्यायालय को मुकदमे की कार्यवाही शीघ्रता से समाप्त करने का निर्देश

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिया गया था। आवेदक ने उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 14108/2024 के माध्यम से चुनौती दी थी, जिसे 09.01.2025 के आदेश द्वारा इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया गया था कि न्यायालय उस समय आवेदक को जमानत देने के लिए इच्छुक नहीं था। इसके बाद, विचारण आगे बढ़ा। आवेदक द्वारा दोष उन्मोचन आवेदन दायर की गई थी, जिसे विचारणीय न्यायालय ने 31.01.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। उक्त आदेश को इस न्यायालय में धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 3982/2025 के माध्यम से चुनौती दी गई। उक्त याचिका के लंबित रहने के दौरान, विचारणीय न्यायालय के समक्ष दो गवाहों की परीक्षण की गई, जिनमें वर्तमान मामले का शिकायतकर्ता भी शामिल था। उपरोक्त याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 14.05.2025 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया। धारा 482 के तहत आवेदन संख्या 3982/2025 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 9625/2025 में चुनौती दी गई। उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका के लंबित रहने के दौरान, जमानत के लिए वर्तमान आवेदन दायर किया गया। उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका जून 2025 में दायर की गई थी। दूसरा जमानत आवेदन 06.11.2025 को दायर किया गया। इसके बाद, 24.11.2025 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया गया और अंतरिम आदेश पारित किया गया कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अंबेडकर नगर के समक्ष लंबित मामले की कार्यवाही स्थगित रहेगी।

3.5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को दिनांक 04.01.2025 के आदेश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 148, 149 और 307 के तहत अपराध संख्या 157/1990 में 7 वर्ष

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

कारावास की सजा सुनाई गई। इस संबंध में आपराधिक अपील संख्या 346/2025 के रूप में इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की गई, जिसे पंजीकृत कर लिया गया।

3.6. अंत में प्रस्तुत किया गया है कि कथित अपराध विद्वान दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय हैं और आवेदक 03.11.2023 से जेल में है, अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

4. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री वी०के० शाही का तर्क है कि आवेदक के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं और आवेदक की पूर्व जमानत याचिका सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद खारिज कर दी गई थी। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक का आपराधिक इतिहास है, अतः वह जमानत का पात्र नहीं है।

5. शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और कहा कि आवेदक पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147, 352, 506 के तहत अपराध संख्या 193/1996 में भी आरोप था। उन्होंने आगे कहा कि उक्त प्राथमिकी के गवाह को आवेदक द्वारा धमकाया गया था, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई; आवेदक को उक्त मामले में पहले ही बरी कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ अन्य गवाहों ने भी आवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व आदेश में सभी पहलुओं पर विचार किया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे बरकरार रखा था, इसलिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और जमानत याचिका खारिज की जानी चाहिए।

6. श्री शाही और शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं करते कि आवेदक की रिहाई याचिका को विद्वान दंडाधिकारी/विचारणीय न्यायालय ने खारिज कर दिया था और फिर उक्त आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई थी और इस न्यायालय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

ने भी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और फिर विचाराधीन मामले की सुनवाई रोक दी गई थी।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करने तथा अभिलेखों का अवलोकन करने पर, यह स्पष्ट है कि आवेदक को पहले ही एक मामले में 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। आवेदक की पहली जमानत याचिका को विचारणीय न्यायालय को मुकदमे की कार्यवाही पूरी करने का निर्देश देते हुए खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, विचारण आगे बढ़ा। चूंकि सभी अपराध दंडाधिकारी द्वारा विचारणीय हैं, इसलिए दंडाधिकारी के समक्ष दोष उन्मोचन आवेदन दायर की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। उक्त अस्वीकृति आदेश को इस न्यायालय में चुनौती दी गई और याचिका भी खारिज कर दी गई। इसके बाद, खारिजा आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, अंबेडकर नगर के समक्ष लंबित विचाराधीन मामले का मुकदमा स्थगित कर दिया गया है। आवेदक 03.11.2023 से जेल में है। बारह आरोपियों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक के खिलाफ केवल साजिश का सामान्य आरोप है। इसलिए, यह जमानत के लिए उपयुक्त वाद है।

8. जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

9. उपर्युक्त मामले में आरोपित **पवन कुमार पांडेय**, को 1,00,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदारों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(i) आरोपित व्यक्ति उस अपराध के समान कोई अपराध न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा, जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आरोपित व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारणीय न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। (v) यदि आवेदक बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 बीएनएस के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 बीएनएस के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगी।

(vi) आवेदक को विचारणीय न्यायालय के समक्ष (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

संहिता/351 बीएनएस के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारणीय न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

(vii) आवेदक विचारणीय न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना जिले से बाहर नहीं जाएगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

23 मार्च, 2026

अर्पण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।